

विभाग का नाम	—	परिवहन, दिल्ली सरकार
विभाग का पता	—	5/9 अंडर हिल रोड, दिल्ली-54
अतारांकित प्रश्न संख्या	—	194
सदस्य का नाम	—	चौ० फतेह सिंह
दिनांक	—	10-08-2017

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

प्रश्न	उत्तर
क) क्या यह सत्य है कि परिवहन विभाग लोनी रोड के परिसर में चल रहा सरकारी मोटर ट्रेनिंग स्कूल आई.डी.टी.आर. को 150 रु. प्रतिमाह के हिसाब से चलाने के लिए दिया गया है;	जी हाँ, परिवहन विभाग ने FAITH (Foundation to Assist Inculcating Traffic Habits) जो कि परिवहन विभाग द्वारा पंजीकृत करायी गई संस्था है, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह परिसर है, आई.डी.टी.आर. को मोटर ड्राइविंग स्कूल चलाने के लिए 150रु० प्रतिमाह उपयोगकर्ता दर पर दी है।
ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकारी ड्राइविंग मोटर स्कूल को चलाने के लिए शुरुआत में 5 वर्षों के लिए दिया गया था;	जी हाँ।
ग) क्या यह भी सत्य है कि उस समय सरकार ने यह सरकारी ड्राइविंग स्कूल जिसकी लगभग 4 एकड़ जमीन है, बिना दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल की अनुमति के आई.डी.टी.आर. को परिवहन विभाग ने दे दी; और	इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।
घ) क्या यह भी सत्य है कि 1996 से अब तक परिवहन विभाग (दिल्ली सरकार व केन्द्र सरकार) ने आई.डी.टी.आर. को अनुदान के रूप में करोड़ों रुपये रोड सेफ्टी के नाम से दिये हैं, और	परिवहन विभाग दिल्ली सरकार ने आई.डी.टी.आर. को अनुदान के रूप में कोई राशि नहीं दी है। आई डी टी आर लोनी रोड को केन्द्र सरकार से वर्ष 2002 से 2016 तक लगभग 4.80 करोड की राशि विशेष प्रशिक्षण हेतु प्राप्त हुई है।
ङ) यदि हां तो इसका आज तक का पूर्ण ब्यौरा क्या है?	


 विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
VARSHA JOSHI, IAS
 Secretary cum Commissioner (Tpt)
 Transport Department
 GNCT Delhi
 5/9, Under Hill Road, Delhi